न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **10/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/91

1. श्री लक्ष्यदेव सिंह राणावत पिता कपिल कुमार सिंह राणावत नाबालिग जरिए संरक्षक पिता कपिल कुमार सिंह पिता शिवदयालसिंह राणावत जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धनेरिया हाऊस, भट्टीयानी चौहट्टा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्यारा पुत्र स्व० भूरा जी जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. चुन्नी पत्नी स्व० जयचन्द जी जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी, पटवार हल्का खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.09.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धनेरिया, पटवार हल्का खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 किता 5 कुल रकबा 2.7275 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित है। आराजी नम्बर 2291/595 रकबा 0.5180 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार भूरा पुत्र दोला सालवी के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से अंकित है। खातेदार भूरा पुत्र दोला सालवी का निधन हो चुका है जिसके वारिस विपक्षी संख्या 1 पुत्र एवं स्वर्गीय पुत्र जयचन्द की पत्नी विपक्षी संख्या 2 हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:58 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये रास्ता मुख्य रास्ते के सटमा दक्षिणी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1, 2 की आराजी नम्बर 2291/595 के पश्चिमी भाग पर उत्तर से दक्षिण की और जाता हुआ 15 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जो मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 661 के उत्तरी–पश्चिमी मुहाने के सटमा तक हैं, जिससे होकर मेरे पूर्वाधिकारी एवं उनके पश्चात् मैं प्रार्थी मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर आते जाते रहे हैं तथा इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे है तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

3. यह कि मुझ प्रार्थी के पास कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये आराजी नम्बर 2291/595 में अंकित कृषि भूमि में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं और वर्षों से मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के पूर्वज के नाम पर है जिससे इन्होने आपस में मिलीभगत कर दिनांक 27–06–2024 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर आये और हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजी पर बने रास्ते को ट्रेक्टर से हकाई करवा दिया तथा रास्ते को अपनी जमीन में मिलाकर उस पर अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नही माने बल्कि मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से मैं एवं मेरे परिजन हमारी कृषि भूमि पर नही जा रहे है और न ही अपनी जमीनो की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रहे हैं जिससे मुझ प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है। मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये एकमात्र रास्ता यही है। मैने मेरी कृषि भूमियो में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1. 2 को आराजी नम्बर 2291/595 में स्थित रास्ते पर उत्पन्न किये गये अवरोध को हटाने एवं रास्ता पूर्व अनुसार चालु किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1, 2 ने रास्ते से आवागमन करने देने से साफ इन्कार कर दिया और विपक्षी संख्या 1, 2 एवं इनके परिवार के सदस्यों ने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मुझ प्रार्थी की जमीनों में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1, 2 की खातेदारी की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:58 IST
Reason: SelfAttested

में संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित किये गये भू भाग पर बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौड़ाई का अर्थात 15 फीट चौड़ा रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि मैं प्रार्थी अदा/जमा कराने को तैयार

4. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 27–06–2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से आराजी नम्बर 2291/595 पर स्थित रास्ते को हकवा कर अपनी जमीन में मिला दिया और रास्ते में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया और मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया। जिसपर मैने विपक्षी संख्या 1, 2 को उनकी भूमि में स्थित रास्ते से मेरी कृषि भूमि पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में कोई अवरोध पैदा नही करने हेतु कहा तो विपक्षी संख्या 1, 2 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि मुझ प्रार्थी की कृषि भूमियों पर पहुँचने तक के लिए आराजी नम्बर 2291/595 में अंकित भूमि पर अर्थात संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित भाग पर 15 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में ष्रास्ताष के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 3 व 4 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमां कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1, 2 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1, 2 उनकी आराजी नम्बर 2291/595 में स्थित उक्त रास्ते (जिसे संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित किया गया है) से होकर प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि में शांतिपूर्वक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:58 IST
Reason: SelfAttested

आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नही, बाड़ नहीं करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना न्यायालय में अनपुस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजा धनेरिया प.ह. खरताणा के आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 खातेदार नाबालिग लक्ष्यदेवसिंह राणावत पुत्र कपिल कुमारसिंह संरक्षक पिता कपिलकुमारसिंह पिता शिवदयालसिंह राणावत हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत निवासी धनेरिया हाऊस, भट्टीयानी चौहट्टा उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 में जाने हेतु कोई भी बिलानाम रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 में जाने हेतु आराजी नम्बर 2291/595 में से रास्ता चाहा गया है जो की मौका व रिकार्ड अनुसार न्यूनतम दूरी वाला है। प्रस्तावित रास्ता 4.58 मीटर चौड़ा है। प्रस्तावित रास्ता में जाने वाली भूमि का रकबा आराजी नम्बर 2291/595 रकबा 0.5180 हेक्टेयर किस्म बंजड़ में से 0.0733 हेक्टेयर है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भू अभिलेख निरीक्षक सनवाड की रिपोर्ट एवं तहसील राजस्व लेखाकार की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न की गई। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली के आराजी संख्या 2291/595 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से 0.0733 हैक्टेयर की डीएलसी 7,35,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 733 वर्गमीटर के 53,876/– रूपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 1,07,752/– रूपये बनते है।

8. अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि पर जाने के लिए रास्ता नही है। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जावे, जिससे वादी अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग कर सके।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:58 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 406 पर दर्ज आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 किता 5 कुल रकबा 2.7275 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 661 के मध्य विपक्षी संख्या 1 से 2 के मौरूस खातेदार भूरा पिता दोला की आराजी नम्बर 2291/595 स्थित हैं। खातेदार भूरा पिता दोला का निधन हो गया जिसके वारिसान प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 को बताया है। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षी संख्या 1, 2 के मौरूस के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2291/595 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0733 हैक्टेयर भूमि बनती है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप—6) विभाग क्रमांक प. 13(52)राज—6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। तहसील राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:58 IST
Reason: SelfAttested

लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार डीएलसी 7,35,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 733 वर्गमीटर के 53,876/– रूपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 1,07,752/– रूपये बनती है। उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 1, 2 अर्थात मृतक खातेदार भूरा पुत्र दोला के वारिसान को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की आराजी नम्बर 2291/595 रकबा 0.5180 हैक्टेयर भूमि में से 0.0733 हैक्टेयर अर्थात् कुल रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 733 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में 4.58 मीटर चौड़ाई के साथ लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 1,07,752/– रूपयें अक्षरे एक लाख सात हजार सात सौ बावन रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2 अर्थात मृतक खातेदार भूरा पुत्र दोला के सभी वारिसान को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार/मृतक खातेदार भूरा पुत्र दोला के वारिसान द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (FT)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:58 IST
Reason: SelfAttested